

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 4981  
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

कंपनियों पर अर्थदण्ड

4981. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:  
श्री लक्ष्मी नारायण यादव: :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बहुत सी कंपनियों ने विभिन्न मामलों में उन पर लगाए गए अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उन पर लगाए गए अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया है और अर्थदण्ड की राशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों से अर्थदण्ड की राशि संग्रहीत कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): जी, हां। ऐसी 222 कंपनियां हैं जिन्होंने 3,42,47,000/- रुपए के दंड का भुगतान नहीं किया है। अप्रदत्त दंड की वसूली करना एक सतत् प्रक्रिया है।

\*\*\*\*\*